रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2005/वैशाख 20, 1927
No. 74] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2005/VAISAKHA 20, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मई, 2005

सं. टीएएमपी/40/2004-एमओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, इसके दरमान की सामान्य संशोधन के लिए मोर्मुगाओ पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन बंद करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/40/2004-एमओपीटी

मोर्मुगाओ पत्तन न्यास (एमओपीटी) **आवेदक**

आदेश

(मई 2005 के 2 दूसरे दिन पारित)

यह प्रकरण मोर्मुगाओ पत्तन न्यास (एमओपीटी) से उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त उसके प्रस्ताव के संबंध में है।

2. एमओपीटी से प्राप्त प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया है और अपनाई गई सामान्य परामर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए उस पर कार्रवाई की गई है।

3.1 जिस समय इस प्रकरण पर सुनवाई की जानी थी, सरकार द्वारा संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी जारी कर दिए गए।

3.2 पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) द्वारा घोषित संशोधित मार्गदर्शियों के मद्देनजर एमओपीटी से, अपने प्रस्ताव की एक बार और समीक्षा कर ले और यदि आवश्यक लगे तो वे संशोधित प्रस्ताव 30 अप्रैल, 2005 तक दाखिल कर दे।

4. इस प्रसंग में, एमओपीटी ने सूचित किया है कि हाल ही में घोषित संशोधित मार्गदर्शियों पर विचार करते हुए आनुषंगिक लागत विवरणियों के साथ अपने प्रस्ताव के संशोधन में बहुत-सा काम शामिल होने के कारण वह संशोधित प्रस्ताव नियत तिथि के भीतर दाखिल करने की स्थिति में नहीं होगा। वह उसे अधिकतम 30 जून, 2005 तक प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया है।

5. संशोधित प्रस्ताव जब एमओपीटी से प्राप्त होगा तो उस पर नियमित परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद नए सिरे से विचार किया जायेगा।

6. परिणामस्वरुप, यह प्राधिकरण इस प्रकरण को बंद करने का निर्णय लेता है। एमओपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव, संशोधित मार्गदर्शियों के अनुरुप तीन वर्षों के प्रक्षेपण देते हुए अपेक्षित लागत विवरणियों के साथ 30 जून, 2005 तक प्रस्तुत कर दे।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th May, 2005

No. TAMP/40/2004-MOPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the proposal received from the Mormugao Port Trust for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No : TAMP/40/2004-MOPT

Mormugao Port Trust (MOPT) ..... **Applicant**

ORDER

(Passed on this 2nd day of May, 2005)

This case relates to a proposal received from the Mormugao Port Trust (MOPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR).

2. The proposal received from the MOPT has been registered as a tariff case and processed following the usual consultation process adopted.

3.1. When the case was to be taken up for joint hearing, the revised tariff guidelines were issued by the Government.

3.2. In view of the revised guidelines announced by the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (MSRTH), the MOPT was requested to review its proposal and, if necessary, to file a revised proposal by 30 April, 2005.

4. In this context, the MOPT has informed that due to volume of work involved in revision of its proposal alongwith relevant cost statements taking into account the recently announced revised guidelines, it would not be in a position to file the revised proposal within stipulated date. It has, agreed to file the same latest by 30 June, 2005.

5. The revised proposal when received from the MOPT will be considered afresh following the usual consultation process.

6. In the result, this Authority decides to close this case. The MOPT is advised tofile a revised proposal by 30 June, 2005 alongwith the requisite cost statements giving projections for three years in line with the revised guidelines.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/05-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.